सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-12 मंगलवार, दिनांक-15 मार्च, 2022 ई०।

माननीय अध्यासी सदस्य, श्री प्रेम कुमार की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 11:15 बजे पूर्वाह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा दिनांक 14.03.2022 को सदन में माननीय मुख्यमंत्री के वक्तव्य के संबंध में कहा गया कि यह आसन के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप है। सदन नेता द्वारा अलोकतांत्रिक बातें कही गयी, जिससे पूरा सदन मर्माहत है।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विधायिका और कार्यपालिका के कार्य एवं दायित्व संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं रेखांकित है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने से असहज स्थिति उत्पन्न होती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि सदन को नियमों से चलना चाहिए। आसन द्वारा भी कहा गया था कि संविधान सम्मत तरीके से सब काम होना चाहिए। इसलिए दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार मानती है कि आसन सर्वोपरि है।

परन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण कल की घटना पर विस्तार से चर्चा किये जाने की माँग पर अड़े रहे तथा शोरगुल और नारेबाजी करने लगे।

आसन द्वारा प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने देने का बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 02.07 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

[1] **प्रस्ताव** :-

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा निम्न प्रस्ताव दिया गया:-

''बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-23(क), नियम-93 एवं नियम-244 में संशोधन के प्रस्ताव से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए गठित नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 10.03.2022 को सदन पटल पर रखा गया था। नियमावली के नियम-287(ख) के तहत किसी भी माननीय सदस्य से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतएव नियमावली के नियम-288 के परन्तुक के अन्तर्गत संशोधन के प्रस्ताव को बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में अंगीकार करने का उपबंध किया जाय।''

उपर्युक्त प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[2] **वित्तीय कार्य** :-

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-06 (ग्रामीण विकास विभाग; ग्रामीण कार्य विभाग; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान:-

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण कल की घटना पर विस्तार से चर्चा किये जाने की माँग को लेकर शोरगुल एवं नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए।

आसन द्वारा बार-बार शांति बनाये रखने एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण से अपने-अपने स्थान पर जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही 04:50 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित हुई।

स्थगनोपरान्त

(04.50 बजे अपराह्न से 05:00 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य, श्री प्रेम कुमार ने आसन ग्रहण किया)

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया।

सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

[3] **निवेदन** :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 28 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे।

तदुपरान्त सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-16 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-15.03.2022

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।